-ख-II 1003 7/4/10

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 27, गुरुवार, शाके 1931–मार्च 18, 2010 *Phalguna 27, Thursday, Saka 1931–March 18, 2010*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

महिला एवं बाल विकास विभाग
(निदेशालय महिला अधिकारिता)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 12, 2010

विषयः– महिला शक्ति पुरस्कार (संशोधन) नियम, 2009

जी.एस.आर.102:–:–राज्य सरकार महिला शक्ति पुरस्कार नियम, 1996, जो कि राजस्थान राज–पत्र विशेषांक के भाग 4(ग) उपखण्ड (I) दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित हुए हैं, में एतद्द्वारा संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाती है: –

1. **शीर्षक एवं आरम्भ** :–(1) इन नियमों का नाम महिला शक्ति पुरस्कार (संशोधन) नियम, 2009 होगा।
   (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृ होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधनः**–उक्त नियम के उपनियम (3)(a) में रुपये 11,000/– के स्थान पर रुपये 51,000/– प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **नियम 5 का 2(A) संशोधन** :–उक्त नियम के उपनियम (2)(i) में दी गई चयन समिति के स्थान पर निम्न प्रकार से चयन समिति प्रतिस्थापित की जाती है :–

(अ) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	– अध्यक्ष
(ब) प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग	–सदस्य
(स) प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	–सदस्य
(द) प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें	–सदस्य
(य) प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	–सदस्य
(र) प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	–सदस्य

(ल) महिला सशक्तिकरणं के क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रतिष्ठित स्वंयसेवी संस्थाओं से एक–एक प्रतिनिधि(राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) –सदस्य

(व) आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग –सदस्य सचिव

[संख्या एफ. 19(1)मशक्ति/07–08/5529]

आज्ञा से,

सरिता सिंह

आयुक्त एवं शासन सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राज. जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।